तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 282/2019 अनवान बालसिंह बनाम रूखबाराम
17.02.2022	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। वाबजूद सूचना के अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रार्थी ने भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के तहत् प्रकरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण मे तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौका एवं राजस्व रेकर्ड का निरीक्षण करने पर पाया गया कि प्रार्थी बालसिंह वल्द जेतमालसिंह जाति राजपूत के खसरा नंबर 2499/1753 रकबा 1.19 बीघा दर्ज है। लेकिन मौका एवं तरमीम नक्शा में उक्त भूमि 01.11 बीघा ही मौजूद है। खसरा नंबर 2499/1753 की शेष 00.08 बीघा भूमि मौके पर विप्रार्थीगण के खसरा नंबर 2497/1979 रकबा 03.18 बीघा तथा खसरा नंबर 2496/1979 रकबा 04.03 बीघा के बीच की सीमा पर संलग्न नक्शे में बरंग लाल में बताए अनुसार स्थित है। मौका कब्जा एवं नक्शा तरमीम अनुसार प्रार्थी बालसिंह के खसरा नंबर 2499/1753 की शेष भूमि खसरा नंबर 2497/1979 में नक्शे में बताए लाल रंग अनुसार मौजूद है। मूल खसरा नंबर 1753 तथा 1979 का विभाजन उपखण्ड न्यायालय के मुकदमा संख्या 05/2002 का विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त भूलवंश मौका नक्शा एवं रकबा निर्धारण सही नहीं होने से खसरा नंबर 2494/1753, 2498/1753, 2499/1753, 3140/1753, 2495/1979, 2496/1979, 2497/1979 का विभाजन वर्तमान मौका, कब्जा एवं राजस्व रेकर्ड से मिलान नहीं खा रहा है। मुकदमा नंबर 05/2002 का विभाजन प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण होने से उक्त विभाजन आदेश को निरस्त कर मौका एवं कब्जा अनुसार नया विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना उचित रहेगा। जिससे मौका एवं रेकर्ड का सही मिलान हो जाए एवं मौके का विवाद भी खत्म किया जा सकें। प्रकरण मे खसरा नंबर 2494/1753, 2498/1753, 2499/1753, 3140/1753, 2495/1979, 2496/1979, 2497/1979 मे रेकर्ड एवं मौके की स्थिति निम्नप्रकार हैः-

क्र. स.	नाम खातेदार मय पता	खसरा नंबर	रेकर्ड अनुसार रकबा बीघा मे	मौके अनुसार रकबा बीघा मे
1	मोहनसिंह, स्वरूपसिंह, फूलसिंह, पवनसिंह, सुगनसिंह पि0 तनेराजसिंह कौम राजपूत सा0 देह	2494/1753	3.19	5.10
		2495/1979	4.01	2.10
		02	8.00	8.00
2	सरोज पत्नी सुरेन्द्रसिंह बालसिंह पुत्र जेतमालसिंह, यशपालसिंह वल्द उगमसिंह कौम राजपूत सा0देह 1/2 हि0 उषा चौधरी पत्नी किरतेश चौधरी जाति जाट निवासी महावीर नगर 1/2 हिस्सा	2390/1979	3.18	5.01
		2502/1753	3.19	2.16
		02	7.17	7.17
3	बालसिंह पुत्र जेतमालसिंह जाति राजपूत 8/39 मगाराम पुत्र दूदाराम जाति जाट सा0 गोदारों की बेरी खुडाला तहसील गुडामालानी 31/39	2499/1753	1.19	1.11
4	रूखबाराम वल्द मानाराम जाति सोनी 1/3 हिस्सा धर्माराम वल्द वीरमाराम जाति जाट 1/3 हिस्सा मोहनीदेवी पत्नी कानाराम जाति सोनी 1/3 हिस्सा नि0 रावतसर	2497/1979	3.18	4.06

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

खसरा नंबर 2497/1979 रकबा रेकर्ड के अनुसार 3.18 बीघा है, जबकि मौके पर 4.06 बीघा है, उक्त खसरे मे मौके पर रकबा 0.08 बीघा ज्यादा है तथा खसरा नंबर 2499/1753 रकबा 1.19 बीघा है जबकि मौके पर 1.11 बीघा ही है। उक्त खसरे मे रकबा 0.08 बीघा कम है। खसरा नंबर 2499/1753 का रकबा मौका अनुसार 1.11 खातेदार गंगाराम पुत्र दूदाराम जाति जाट सा0 गोदारों की बेरी खुडाला तहसील गुड़ामालानी की खातेदारी मे दर्ज किया जाना प्रस्तावित है तथा खसरा नंबर 2497/1979 की बेशी जमीन 0.08 बीघा का नया खसरा नंबर नक्शे मे बरंग लाल अनुसार आवंटित कर खातेदार बालसिंह पुत्र जेतमालसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगौर के कब्जे अनुसार खातेदार दर्ज किया प्रस्तावित है। कर्म संख्या 01 एवं 02 मे अंकित खातेदारों के मौके के अनुसार रकबे मे संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली संलग्न राजस्व अभिलेख एवं नक्शा का भी अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में पूर्व मे हुऐ विभाजन की त्रुटी को सुधार करने को प्रस्तावित किया गया है। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि निम्नांकित भूमि खातेदारी भूमि है, जिस पर खातेदार मौके पर काबिज है, जो कि रकर्ड एव मौके मे भिन्नता पर काबिज है, जिसमे मौके अनुसार रेकर्ड मे सुधार किया जाना आवश्यक है।

अतः तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी बालसिंह का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उपरोक्त सारणी मे प्रस्तावित भूमि की तरमीम/रकबा मौके के अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। रकबा 0.08 बीघा (नक्शे अनुसार बरंग लाल) हेतु नया खसरा नंबर आवंटन करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। नक्शा में तरमीम करें। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलाश में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर